

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय ,

निवेदन है कि ग्राम डावली जमाबंदी सं 2074-77 के खाता सं 250 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में मूलत इन्द्राज/लिपिकीय चुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतीनी खाता सं	भू प्रबंध खतीनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ चुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	
250	धापूलाडि पल्लि केलावाचम हिस्सा 1/64 जाति चमाइ राज. डावला खतीनी खातिदार एन सेठल बंके भोफ डडिंगा वाडा. आलखसाल	250	चमाइ	मेधवाल

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. धापूलाडि 1/64 केलावाचम मेधवाल
2. ~~धापूलाडि 1/64 केलावाचम मेधवाल~~
3. ~~मेधवाल पिता चमराज मेधवाल~~
4. ~~मेधवाल पिता चमराज मेधवाल~~
(न. करारिय)
रिपोट पटवारी

हस्ताक्षर

आ. धापूलाडि

चमराज

मेधवाल

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार धारा डावली के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदनुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

हस्ताक्षर पटवारी

रिपोट भू अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।



भू अभिलेख निरीक्षक
2020-2021

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

कमांक: २७२२/२०२५/१३७

दिनांक ०५/१०/२५

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअगिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम दाबली के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

सुनील
तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तह-कुनल

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज०

कमांक: राजस्व न्यायालय/२०२५/२७५

दिनांक: ०६-११-२५

वादी/प्रार्थी के ग्राम दाबली के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार सुनील की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कालम सं. ५ त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. ५ अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनील को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. ५ अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

सुनील
०६/११/२५
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज०
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

